न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 07/2009

सुरेश पुत्र पूरण जाति मीणा निवासी ओसवाल पेट्रोल पम्प के सामने, आदर्श मीणा कॉलोनी, दौसा जिला दौसा राज0 अपीलांट (फोत)

1/1 देवकी मीना पत्नि सुरेश चन्द मीना
1/2 वंशिका मीना पुत्री सुरेश चन्द मीना नाबालिग
1/3 अंकित मीना पुत्र सुरेश चन्द मीना
1/4 मानसी मेवाल पुत्री सुरेश चन्द मीना नाबालिग
समस्त जाति मीना निवासी सैंथल मोड, आदर्श मीना कॉलोनी, दौसा जिला दौसा राज.

..अपीलांट्स

बनाम

1. मु. शान्ति कथित बेवा पूरण निवासी आदर्श मीना कॉलोनी, दौसा जिला दौसा
2. अनिता कथित नाबालिग पुत्री पूरण
3. धन्नी नाबालिग पुत्री पूरण जरिये माता मु. शान्ति कथित बेवा पूरण
   समस्त जाति मीना निवासी आदर्श मीना कॉलोनी, दौसा
4. सुनीता पुत्री पूरण पत्नि श्रवण कुमार जाति मीना निवासी आदर्श मीना कॉलोनी, दौसा हाल निवासी चक गेटोर खेडा प्रतापनगर सांगानेर, जयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा
6. तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
7. नायब तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
8. नाथूलाल पुत्र रामपाल
9. जगदीश प्रसाद पुत्र रामपाल
10. रामकरण पुत्र रामपाल
    समस्त जाति मीना निवासी आदर्श मीना कॉलोनी, दौसा जिला दौसा
11. तोफा पत्नि गंगासहाय पुत्री रामपाल जाति मीना निवासी ग्राम अगावली तहसील सिकराय जिला दौसा

..रेस्पो0

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 1398 दिनांक 29.7.2008 खाता संख्या 565, 275 तहसीलदार दौसा

उपस्थित—1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2. श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पों. सं. 4 की ओर से।
3 श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

निर्णय

दिनांक: 26.03.2025

2. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 25.7.1998 को ग्राम दौसा कलां का नामान्तरण सं0 1398 दिनांक 29.7.2008 विरासत का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:14 IST
Reason: SelfAttested

3. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट् व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
4. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने दफा 5 के प्रा0पत्र पर बहस में कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरण

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की कार्यवाही में अपीलांट को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा नामान्तरण की कार्यवाही के समय अपीलांट नाबालिग था एवं अपीलांट को उक्त नामान्तरण की कोई जानकारी नहीं थी। रेस्पों. सं. 1 ने गुपचुप में षडयंत्र रचकर अपीलांट को उसके अधिकारों से वंचित करने की गरज से उक्त नामान्तरण खुलवा लिया। रेस्पों. सं0 1 से 3 ने हाल ही में न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा के यहॉ एक वाद शांति बनाम नाथूलाल व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसका नोटिस दिनांक 8.6.2009 को प्राप्त होने पर उक्त नामान्तरण की जानकारी हुई। जिस पर नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी दिनांक 12.6.2009 को नकल प्राप्त हुई। अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पों. एवं राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट अत्यधिक विलंब से पेश की गई है। अपीलांट्स को उक्त नामान्तरण की पूर्व से जानकारी थी। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता ने मियाद के बिन्दु पर कथन किया कि अपीलांट को विवादित नामान्तरण की शुरू से ही जानकारी थी। अतः अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता व अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पों. सं0 2 से 4 की दफा 05 के प्रा.पत्र सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

5. तत्पश्चात मूल अपील पर बहस अधिवक्तागण सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि ग्राम दौसा कला तहसील दौसा में कृषि भूमि खसरा नंबर 372, 858 से 860, 918, 919, 92, 1028 कुल किता 9 रकबा 2.67 है0 भूमि स्थित है। के संबंध में तहसीलदार दौसा ने दिनांक 29.7.2008 को नामान्तरण सं0 1398 विरासत का भूरी के संबंध में खोला जाना बताया है। उक्त भूरी बेवा रामपाल का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं था। लेकिन भूमि के खातेदार रामपाल के फौत होने पर गलती से उक्त नामान्तरण भूरी के नाम भी नाथूलाल, जगदीश, रामकरण, पूरण के साथ खोल दिया गया। जबकि पक्षकारान मीणा जाति के थे एवम मीणा जाति मे पुरूष उत्तराधिकारियों के होते हुए किसी महिला को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। तत्पश्चात दिनांक 25.9.1996 को भूरी बेवा रामपाल का भी देहान्त हो गया एवं भूरी बेवा रामपाल की विरासत का नामान्तरण खोला गया उसमें बिना किसी अधिकार के तोफा व रेस्पों. शान्ति, धन्नी व अनिता के नाम भी अवैध रूप से नामान्तरण खोल दिया। अधिनस्थ तहसीलदार का नामान्तरण संख्या 1398 दिनांक 29.7.2008 विधि विरूद्व एवम तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांट मृतक पूरण का इकलौता उत्तराधिकारी है एवं रेस्पों. शान्ति, अनिता व धन्नी का मृतक पूरण की विरासत में कोई लेना देना नहीं है। उक्त तीनों की महिलाएं है। मीणा जाति में पुरूष उत्तराधिकारी के होते हुए महिलाओं को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। रेस्पों सं0 1 बहुत ही चालाक औरत है एवं वह मृतक पूरण की ब्याहता [illegible] की ब्याहता पत्नि गोविंदी थी जिसका दिनांक 18.9.1984 को देहान्त हो गया है। [illegible] व रेस्पों. सुनीता गोविंदी से जन्मे पूरण के पुत्र पुत्री है। चूंकि मीणा [illegible] अधिनियम लागू नहीं होते है। रेस्पों. सं0 1 से 3 का मृतक पूरण [illegible] से कोई संबंध नहीं है। चूंकि उक्त भूमि रामपाल की थी एवं रामपाल के पुत्र नाथूलाल, जगदी[illegible] व रामकरण एवं अपीलांट के हक में खोला जाना चाहिए था जिसमें अपीलांट का हिस्सा 1/4 होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने

Dw

जिला कलेक्टर, दौसा.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:14 IST
Reason: SelfAttested

उत्तराधिकार संबंधी तथ्यों की जांच किये बगैर ही मात्र शपथ पत्र के आधार पर नामान्तरण खोलना में कानूनी गलती की है। अपीलांट मृतक पूरण का पुरुष उत्तराधिकारी है क्योंकि मीना जाति में पुरूष उत्तराधिकारी को ही खातेदारी प्राप्त होती है इसलिए पूरण के स्थान पर मात्र अपीलांट के हक में खातेदारी प्रदत्त की जानी चाहिए थी, लेकिन अधीनस्थ तहसीलदार दौसा ने तथ्यों की जांच किये बिना ही रेस्पो. सं. 1 से 3 के नाम नामान्तरण खोलने में कानूनी गलती की है। तहसीलदार दौसा ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही नामान्तरण खोलने में कानूनी भूल की है। नामान्तरण के कॉलम नंबर 14 में विरासत भूरी, गोविन्दी व पूरण लिखी हुई है। यह इबारत किस तथ्य व किस आधार पर लिखी है इसका कोई उल्लेख तहसीलदार दौसा ने नहीं किया है। गोविन्दी का देहान्त दिनांक 18.9.84 को, पूरण का दिनांक 3.6.2009 को एवं भूरी का दिनांक 25.9.1996 को हुआ है। उक्त नामान्तरण इतने लंबे अर्से तक क्यों नहीं खोला गया व इतने वर्षों बाद उक्त नामान्तरण किन आधारों पर खोला गया है इसका कोई कारण नामान्तरण में अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट व रेस्पों. नाथूलाल, जगदीश, रामकरण, भूरी बेवा रामपाल के उत्तराधिकारी है। इस विरासत से न तो तोफा का लेना देना है और ना ही अनिता धन्नी का। लेकित तहसीलदार दौसा ने उक्त सभी के नाम नामान्तरण खोलने में कानूनी गलती की है। रेस्पों. शान्ति कथित रूप से पूरण की विवाहिता पत्नि नहीं है बल्कि अपीलांट की तामा गोविन्दी के दहान्त के पश्चात बिना विवाह किये ही अपीलांट के पिता पूरण के साथ रहने लग गई थी। एवं उल्टे सीधे दांव पेच खेलकर अपीलांट को हैरान परेशान करना चाहती है जबकि उसका व अनिता तथा धन्नी का मृतक पूरण की विरासत से कोई लेना देना नही है एवं भूरी की विरासत का जो नामान्तरण पूरण के उत्तराधिकारी बताकर रेस्पों0 सं0 1 से 3 के नाम खोला गया है जो अवैध है। उक्त नामान्तरण की कार्यवाही में अपीलांट को सुनवाई का कोई नोटिस नही दिया गया एवम नामान्तरण की कार्यवाही के समय अपीलांट नाबालिग था एवं अपीलांट को उक्त नामान्तरण की कभी भी कोई जानकारी नही हो सकी। रेस्पोडेन्ट संख्या एक के गुपचुप मे षडयंत्र रचकर अपीलांट को उसके अधिकारो से वंचित करने की गरज से उक्त नामान्तरण खुलवा लिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार दौसा का नामान्तरण सं0 1398 दिनांक 29.7.2008 को निरस्त फरमाया जावे एवं मृतक भूरी बेवा रामपाल की विरासत का नामान्तरण केवल अपीलांट एवं रेस्पों. सं0 8 से 11 के नाम खोले जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. अधिवक्ता रेस्पों. एवं राजकीय अधिवक्ता ने बहस में संयुक्त रूप से कथन किया तहसीलदार दौसा द्वारा खोला गया प्रश्नगत नामान्तरण विधिसम्मत रूप से खोला गया है। पटवारी हल्का द्वारा मृतक भूरी के दिनांक 25.9.1996 को देहान्त, मृतक गोविंदी के दिनांक 18.9.84 को देहान्त होने व मृतक पूरण के दिनांक 3.61996 को देहान्त होने पर वारिसान के नाम नामान्तरण भरा गया है। पटवारी हल्का द्वारा मृतक के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण भरा जाकर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त दौसा के द्वारा जांच की गई है। जांच के उपरांत प्रश्नगत नामान्तरण को तहसीलदार दौसा के द्वारा दिनांक 29.7.2008 को तस्दीक किया गया है। अपीलांट ने गलत आधारों पर यह अपील पेश की है। अधिवक्ता रेस्पों0 ने यह भी कथन किया कि मीणा जाति पर भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

7. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।

8. पत्रावली का अवलोकन किया गया।

- अपील में प्रार्थी द्वारा मुख्य विवाद इस बिन्दु पर है कि नामान्तरण सं0 1398 दिनांक 29.7.2008 को खोला गया था उसमें नामान्तरण भूरी देवी की मृत्यु उपरांत उसकी पुत्री तोफा एवं पूरण के वारिसान शांति, धन्नी व अनिता के नाम से खोला गया है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

जो कि मीणा जाति में प्रचलित रीति रिवाज व कानून के विपरीत है। पूर्व में भूरी देवी के नाम खोला गया नामान्तरण विधि विरूद्ध था जिसकी अपील संख्या 08/2009 प्रस्तुत की गई थी।

- सुरेश की मृत्यु उपरांत उसके वारिसान उसकी पत्नि देवकी वर्तमान में अपीलांट के रूप में दर्ज है एवं उनकी 3 नाबालिग पुत्र व पुत्रियां अपीलांट है। देवकी मीणा द्वारा दिनांक 11.2.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रेस्पों0 के नाम से खोले गये नामान्तरण पर अपनी अनापत्ति प्रकट की है एवं स्वयं का नाम जोडा जाकर नया नामान्तरण खोले जाने का निवेदन किया है।
- चूंकि अब अपीलांट को उक्त नामान्तरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है। अतः अपील खारिज की जाती है। जहॉ तक नये नामान्तरण खोले जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अपना प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। एवं यह बिन्दु अपील के परे है।
- साथ ही तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 29.7.2008 को ग्राम कस्बा दौसा का नामान्तरण सं0 1398 विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है। उक्त तस्दीक किये गये नामान्तरण में मृतक भूरी देवी पत्नि रामपाल के फोत होने पर उसके विधिक वारिसान नाथूलाल, जगदीश प्रसाद, रामकरण, तोफा पुत्री भूरी बेवा. रामपाल जाति मीना एवं शांति बेवा पूरण पुत्र भूरी एवं सुरेश, अनिता, सुनीता व धन्नी के नाम नामान्तरण भरा गया है। जिसको भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त दौसा के द्वारा जांच की गई है। जांच के उपरांत तहसीलदार दौसा द्वारा यह नामान्तरण विरासत का तस्दीक किया गया है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश जो कि नामान्तरण सं0 1398 पर पारित किया गया है में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। हम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य समझते है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1398 दिनांक 29.7.2008 को यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:14 IST
Reason: SelfAttested